

सं० सं०-टी-2/एम० ई० एस०-10/2013.....489

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

प्रेषक,

राकेश कुमार,
सहायक निदेशक प्रशिक्षण
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

सेवा में,

आई० टी० मैनेजर,
श्रम संसाधन विभाग
नियोजन भवन, पटना।

विषय:-


विभागीय संकल्प संख्या-498 दिनांक-12-03-2013 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने
के संबंध में। /पटना, दिनांक- 01-03-19

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार भोकेशनल ट्रेनिंग स्टेट सोसायटी, पटना के गठन से संबंधित संकल्प संख्या-498 दिनांक-12-03-2013 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। इसके लिए उक्त संकल्प की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय संकल्प संख्या-498 दिनांक-12-03-2013 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट किया जाए।

विश्वासभाजन


(राकेश कुमार)

सहायक निदेशक प्रशिक्षण
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

192

सं० सं०-टी-2/ MES-04/2012.....498...../पटना, दिनांक-12/3/13.....

संकल्प

विषय- भारत सरकार के मॉड्यूलर इम्प्लायबुल स्कील (एम० ई० एस०) के कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण समिति के गठन के संबंध में।

भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में राष्ट्र के युवक/युवतियों, स्कूल छोड़ चुके बच्चों/बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर चुके बच्चों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (भी० टी० पी०) का पंजीयन किया जाता है। भी० टी० पी० के कार्यों का अनुश्रवण/अधिकाधिक युवाओं को इसका लाभ एवं विपत्रों के भुगतान संबंधी कार्यों के अनुश्रवण/आदेश हेतु मॉड्यूलर इम्प्लायबुल स्कील हेतु गठित होने वाले सोसायटी के गठन तक निम्न प्रकार से समिति गठित की जाती है:-

1. प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग - अध्यक्ष
 2. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण - सदस्य सचिव
 3. प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि - सदस्य
 4. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि - सदस्य
 5. निदेशक, आर० डी० ए० टी०, कोलकाता अथवा उनके प्रतिनिधि - सदस्य
 6. श्री धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, महासचिव, भारतीय मजदूर संघ - सदस्य
 7. श्री कनक प्रकाश, अध्यक्ष, ज्योतिहर मजदूर संघ/बिहार प्रदेश वीडी संघ - सदस्य
 8. अध्यक्ष, सी० आई० आई० - सदस्य
 9. अध्यक्ष, फिक्की - सदस्य
 10. अध्यक्ष, एसोचेम - सदस्य
 11. अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स - सदस्य
2. समिति की बैठक माह में एक बार अथवा आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकती है।
 3. समिति की बैठक में कम से कम छः सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। निरगम अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है।
 4. समिति के कार्य एवं दायित्व-
 1. राज्य में चल रहे मॉड्यूलर इम्प्लायबुल स्कील योजना का अनुश्रवण।
 2. बाजार माँग का आकलन।
 3. योजना का प्रचार-प्रसार।
 4. प्रशिक्षण प्रदाताओं से आवेदन पत्र का आमंत्रण एवं उसकी छँटनी।
 5. प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची की संधारण।
 6. नामांकन मार्गदर्शिका के आलोक में नामांकन सूचना का प्रेषण।
 7. प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा निर्धारित शुल्क लागू करने हेतु सुनिश्चित करना।
 8. राज्य का वार्षिक प्रशिक्षण कार्य योजना तैयार करना तथा उसे दिल्ली वर्ष प्रारंभ होने के तीन माह पूर्व आरडीएटी/डीजीईटी को प्रेषण।


9. प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं में एस0सी0/एस0टी0, महिला तथा अन्य का आरक्षण सुनिश्चित करना ।
10. एसेसिंग बोर्डों द्वारा आयोजित जाँच में सहयोग ।
11. योजना के फलफल का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ।
12. प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के जाँच हेतु मार्ग-दर्शिका का निर्धारण ।
13. प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को दी जाने वाली राशि का सही उपयोग सुनिश्चित करना ।
14. 30 दिनों में प्रशिक्षण शुल्क का ई0सी0एस0 द्वारा प्रतिपूर्ति ।
15. 30 दिनों में एसेसमेन्ट शुल्क ई0सी0एस0 द्वारा एसेसिंग बोर्डों को प्रतिपूर्ति ।
16. प्रशिक्षण प्रदाताओं का पंजीयन ।
17. डी0 जी0 ई0 टी0 को उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रेषण ।

यह विभागीय मंत्री एवं मुख्य सचिव, बिहार, से अनुमोदित है।

आदेश:-


आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित किया जाय और सभी संबंधित सदस्यों को इसकी एक प्रति दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विश्वम्भर राम)
विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-2/ MES-04/2012... 498.../पटना, दिनांक- 12/3/13...../

प्रतिलिपि:- सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।


(विश्वम्भर राम)
विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।